



कार्यालय: प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट



सोनभद्र- (उ०प्र०)

PIN Code: 231217

Email:dforkt@yahoo.co.in

7 05446-252020

, 2021

पत्रांक- 15619 / रेनुकूट / 15- 38 दिनांक, रेनुकूट, नवम्बर, 17,

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
भीरजापुर क्षेत्र
भीरजापुर ।

विषय-

जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि० की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे० आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण संबंध में ।

संदर्भ-

- 1-अनु सचिव, उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का पत्र संख्या- 1653/81-2-2021-79/91 दिनांक- 08.10.2021
- 2- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्र संख्या- 1413/11-सी- FP/UP/MIN/29061/2017 लखनऊ दिनांक- 29.10.2021
- 3-आपका पत्रांक- 2083/गी०/33 दिनांक- 01.11.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में उ० शासन के संदर्भित पत्र दिनांक- 08.10.2021 द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना टेबुलर फार्म में निम्नानुसार अवलोकन एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र० सं०	अनु सचिव, उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का पत्र संख्या- 1653/81-2-2021-79/91 दिनांक- 08.10.2021 में अंकित विवरण	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अंतर्गत रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत नार्दन कोल फील्डस लि० की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे० आरक्षित वनभूमि के लीज नवीनीकरण की अवधि कब से कब तक प्रस्तावित है?	इस विन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि नार्दन कोल फील्डस लि० की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे० आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण की अवधि 20 वर्ष (दिनांक- 22.12.2019 से 21.12.2039 तक) हेतु प्रस्तावित है ।

आमान्य

17/11/21

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या- अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि : महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि०, ककरी परियोजना, ककरी-सोनभद्र को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में उच्च स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए 185.84 हे० वन भूमि के नवीनीकरण कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का ऊष्ट करें ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक- 2306 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक, नवम्बर, 17- 2021
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.4 हे0 आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में।

संदर्भ: 1- अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, का पत्र संख्या-1653/81-2-2021-79/91 दि0 08.10.2021
2-आपका पत्र संख्या 1413/11-सी-FP/UP/MIN/29061/2017 दिनांक-29.10.2021

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या - 1568/रेनुकूट/15-38 दिनांक 17.11.2021 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा संस्तुति सहित निम्न प्रकार प्रेषित किया है :-

क्र0 सं0	अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या-1653/81-2-2021-79/91 दिनांक 08.10.2021	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अंतर्गत रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण की अवधि कब से कब तक प्रस्तावित है?	इस विन्दू के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि नार्दन कोल फील्ड्स लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण की अवधि 20 वर्ष (दिनांक- 22.12.2019 से 21.12.2039 तक) हेतु प्रस्तावित है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रेषित आख्या एवमसह संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या- 2306, /अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके कार्यालय पत्रांक-1568/रेनुकूट/15-38 दिनांक 17.11.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर